an>

Title:Need to put in place a mechanism for monitoring clinical trials on humans for ensuring their safety and payment of compensation.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) ः भारत में दवाइयों के चिकित्सीय परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) से मरने वालों या घातक रूप से पीड़ित होने वाले लोगों की तादाद 17 हज़ार से भी ज्यादा है, जिसमें से 3458 मौतें हुई हैं और 14,320 ऐसे मरीज हैं जिनके ऊपर इन परीक्षणों का घातक असर हुआ है। वÂान 2005 से क्लीनिकल ट्रायल के कानून में जो ढील दी गई, उसक चलते नागरिकों के ऊपर दवाओं के परीक्षण बेलगाम हो गए हैं। जिन लोगों पर यह परीक्षण किया जाता है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इसके चलते भारत को ""गिनी पिग"" बनाया जा रहा है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में "क्लीनिकल ट्रायल" को सही ढंग से निगरानी करने, मुआवजा देने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाए तथा जब तक यह व्यवस्था पुख्ता नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस पर रोक लगानी चाहिए। तभी भारत को ""गिनी पिग"" बनने से रोका जा सकेगा।